

डीएनडी से सुरक्षा तथा यूसीसी नियंत्रण

अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) से कैसे बचा जा सकता है?

उपभोक्ता सभी प्रकार के वाणिज्यिक संचार (कॉल एवं एसएमएस) को पूर्णतः अवरुद्ध कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित सात श्रेणियों में से अपनी पसंद के अनुसार चयनित यूसीसी को अवरुद्ध कर सकते हैं—

1. बैंकिंग / बीमा / वित्तीय उत्पाद / क्रेडिट कार्ड
2. अचल संपत्ति
3. शिक्षा
4. स्वास्थ्य
5. उपभोक्ता वस्तुएँ एवं मोटर वाहन
6. संचार / प्रसारण / मनोरंजन / सूचना प्रौद्योगिकी
7. पर्यटन एवं अवकाश

यह राष्ट्रीय ग्राहक वरीयता रजिस्टर (एनसीपीआर), जिसे डीएनडी रजिस्ट्री भी कहा जाता है, में अपनी वरीयताएँ पंजीकृत करके किया जा सकता है।

एनसीपीआर में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

डीएनडी पंजीकरण:

यूसीसी से होने वाली असुविधा से बचने के लिए ग्राहक अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप, वेबसाइट, ट्राई डीएनडी ऐप अथवा '1909' पर कॉल या एसएमएस के माध्यम से सभी वाणिज्यिक संचारों को अवरुद्ध कर सकते हैं या अपनी पसंद की श्रेणियों के अनुसार चयनित रूप से उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है?

शिकायत का पंजीकरण:

1. यदि डीएनडी में पंजीकरण कराने के बाद भी आपको स्पैम संदेश या कॉल प्राप्त होते हैं— अपने संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप, वेबसाइट, ट्राई डीएनडी ऐप अथवा '1909' पर कॉल या एसएमएस के माध्यम से डीएनडी शिकायत दर्ज करें।
2. यदि आपको किसी संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण संचार की प्राप्ति होती है— पिछले 30 दिनों में मिले किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशन की रिपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन विभाग (डॉट) के 'चक्षु' प्लेटफॉर्म पर <https://sancharsaathi.gov.in/sfc/> पर करें।
3. यदि वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध पहले ही हो चुका है— यदि आप वित्तीय धोखाधड़ी के कारण पहले ही धनराशि खो चुके हैं, या साइबर अपराध के शिकार हो चुके हैं, तो इस घटना की सूचना साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर '1930' पर या <https://www.cybercrime.gov.in> वेबसाइट पर दें।